

मसालों व पाक शाकों पर कोडेक्स समिति
के चौथे सत्र के लिए
सम्मेलन दस्तावेज़ों के अनुवाद हेतु
निविदा सूचना

(सी सी एस सी एच-4)

23-10-2018

स्पाइसेस बोर्ड भारत

1. भूमिका

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन का अग्रणी संगठन है।

कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन (सी ए सी) विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक मानकों में सामंजस्य बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का विकास करनेवाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

मसालों व पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सी सी एस सी एच), सी ए सी के अधीन का एक सहायक निकाय है, जो मसालों व पाक्य शाकों के लिए कोडेक्स मानकों के विकास हेतु कार्य करता है। अधिक जानकारी के लिए <http://ccsch.in> और <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCSCH> देखें।

भारत की तरफ से, सी सी एस सी एच के लिए सचिवालय स्पाइसेस बोर्ड है। इस समिति का चौथा सत्र, सी सी एस सी एच-4, 21 - 25 जनवरी, 2019 के दौरान लीला कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में आयोजित होने वाला है।

2. बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

निविदा, www.indianspices.com वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निर्धारित निविदा दस्तावेज़ में प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रस्तुत की जानेवाली निविदाओं द्वारा, नीचे विनिर्दिष्ट निर्देशों का सख्त अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की चूक होने पर निविदाओं को अपूर्ण और तिरस्कार करने योग्य माना जाएगा।

निम्न पते पर निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 08 नवंबर, 2018 को शाम 5.30 बजे होगी:

कोडेक्स सेल

स्पाइसेस बोर्ड

सुगन्ध भवन, एन.एच.बै पास,

पालारिवट्टम पी.ओ.,

कोच्ची, केरल-682025

फ़ोन : 0484 2333610-616 (एक्स्टेंशन- 520)

जो भी कारण हो, अंतिम तारीख व समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पते पर 09 नवंबर, 2018 को सुबह 10.30 बजे निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलने के दौरान उसमें भाग लेने हेतु प्रत्येक निविदाकार के लिए केवल एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को अनुमति दी जाएगी।

दो-बोली प्रणाली का पालन किया जाएगा, जैसेकि, तकनीकी बोली और एक वित्तीय बोली, जिन्हें अलग-अलग लिफ़ाफ़ों में अलग से जमा किया जाना चाहिए। निर्धारित तारीख को, पहले तकनीकी बोली

ही खोली जाएगी। तकनीकी विनिर्देशों की पूर्ति करने वाले निविदाकारों के लिए बाद की तारीख में वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

2 क. तकनीकी बोली :

तकनीकी बोली, "तकनीकी बोली-अनुवाद सेवाएं - सी सी एस सी एच-4" ऐसे ऊपर लिखे गए लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए। लिफाफे में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

1. भाग-क, धारा-4, तालिका-1 की पात्रता तथा तकनीकी अपेक्षाओं की तालिका में अनुपालन (जी हां/जी नहीं)
2. इस तालिका में सूचित किए अनुसार मापदंड के लिए दस्तावेजी प्रमाण
3. निविदा के लिए संगत कोई अतिरिक्त समर्थक दस्तावेज
4. पूरे संपर्क विवरण के साथ निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रावरण पत्र

2 ख. वित्तीय बोली

वित्तीय बोली, "वित्तीय बोली -अनुवाद सेवाएं - सी सी एस सी एच-4" ऐसे ऊपर लिखे गए लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए। लिफाफे में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए :

1. भाग ख, धारा 5 की तालिका 2 में दिए गए विवरण
 1. तालिका में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए सभी नियमों और शर्तों का उल्लेख करें। यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग करें।
 2. तालिका में भुगतान शर्तों का उल्लेख करें।
2. पूरे संपर्क विवरण के साथ निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रावरण पत्र

अपूर्ण तकनीकी या वित्तीय बोलियों का तिरस्कार किया जा सकता है। तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली के मुहरबन्द लिफाफों को ऊपर 'स्पाइसेस बोर्ड निविदा-अनुवाद सेवाएं- सी सी एस सी एच-4' लिखे गए एक अलग लिफाफे में डालकर सील करना चाहिए। निविदा, ऊपर की धारा 2 में इंगित किए गए पते पर निविदा की अंतिम तारीख को या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए।

3. कार्य की गुंजाइश

मसालों व पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (सी सी एस सी एच)की 21 - 25 जनवरी, 2019 के दौरान लीला कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में आयोजित करने हेतु निर्धारित आगामी सत्र के लिए इस निविदा में सेवाओं की अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

क) सत्र के पहले, के दौरान तथा के बाद में, सी सी एस सी एच के दस्तावेजों के पाठ का अनुवाद, अंग्रेजी, स्पैनिश और फ्रेंच में अपेक्षित है। विविध दस्तावेजों को अंग्रेजी, स्पैनिश और फ्रेंच के बीच अनुवाद किया

जाना अपेक्षित है(खासकर अंग्रेजी से फ्रेंच और स्पैनिश में, लेकिन इसके विपरीत भी)।

(ख) सत्र के दिनों के दौरान (21 – 25 जनवरी, 2019) दस्तावेजों के रातोंरात अनुवाद की अपेक्षा होगी।

भाग क : पात्रता एवं तकनीकी अपेक्षाएं

4. पात्रता मापदंड एवं तकनीकी अपेक्षाएं

निविदा में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड और तकनीकी अपेक्षाएं नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक मद के सामने अनुपालन चिह्नित करें। पात्रता मानदंडों को साबित करने वाले समर्थक दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न किए जाएंगे।

कोडेक्स समिति सत्रों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में अनुभव के साथ योग्य अनुवादकों के साथ अनुभवी समूहों द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

निविदाकार को मुख्य रूप से नीचे दिए गए क्षेत्रों में पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए अपनी क्षमता का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। पात्रता और तकनीकी अपेक्षाओं के अनुपालन को नीचे दी गई तालिका में चिह्नित किया जाना चाहिए, और जहां संकेत दिया गया है, दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान किया जाना है।

तालिका 1: पात्रता मापदंड एवं तकनीकी अपेक्षाओं का अनुपालन

क्रम संख्या	अपेक्षा	अनुपालन	दस्तावेजी प्रमाण
1	कोडेक्स समिति सत्रों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पैनिश के बीच दस्तावेजों के अनुवाद में अनुभव (पिछले तीन वर्षों में प्रदान की गई सेवाओं का विवरण प्रदान करें)	जी हां/जी नहीं	तारीख व भाषाओं के साथ कोडेक्स सत्रों तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जिनमें अनुवाद सेवाएं प्रदान की गई थीं, का विवरण प्रदान करें। संगत कार्य आदेश की प्रतियां प्रदान करें।
2	रातोंरात अनुवाद सहित प्रदान की गई सेवा के विस्तृत विवरण के साथ दस्तावेज (अनुवादकों का चयन और व्यवस्थापन)	जी हां/जी नहीं	दस्तावेज संलग्न करें।
3	परामर्शदाता अनुवादकों तथा प्रस्तावित अनुवादकों के पेशेवर और अकादमिक योग्यताओं और संगत अनुभव।	जी हां/जी नहीं	दस्तावेज संलग्न करें। (पेशेवर/अकादमिक प्रमाणपत्र)

4	<p>बोलीदाता को स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि बोली साइट पर है या दूरस्थ अनुवाद के लिए</p> <ul style="list-style-type: none"> • यदि साइट पर है तो कार्य अवधि के निबंधन व शर्तें • यदि दूरस्थ अनुवाद है, तो अपेक्षित भाषा में अनूदित पाठ प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय 		विवरण के साथ दस्तावेज़ संलग्न करें।
5	<p>दूरस्थ अनुवाद के मामले में, समन्वयन और जिम्मेदारी लेने के लिए सत्र दिनों के दौरान कार्यस्थल में प्राधिकृत, पेशेवर, जिम्मेदार व्यक्ति को तैनात करना अपेक्षित है।</p>	जी हां/जी नहीं	विवरण के साथ दस्तावेज़ संलग्न करें।
6	<p>साइट के अनुवाद दल के सदस्य (सदस्यों) के लिए हवाई यात्रा टिकट का प्रबंध स्पाइसेस बोर्ड करेगा। बोलीदाता द्वारा, दल के सदस्य किस हवाई अड्डे से यात्रा कर रहे हैं और (आने-जाने की) अस्थायी यात्रा तिथि की सूचना दी जानी है।</p>	जी हां/जी नहीं	विवरण संलग्न करें

भाग ख: वित्तीय बोली

5. वित्तीय बोली

अनुवाद सेवाएं प्रदान की जाने के लिए निविदा में नीचे दी गई तालिका के अनुसार विवरण भरा जाना होगा। प्रत्येक भाषा के लिए, नीचे दी गई विशेष तालिका का उपयोग करें। यदि किसी भाषा में सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो तालिका की क्रम संख्या (ख) में 'नहीं' का उल्लेख करें और बाकी पंक्तियों को खाली छोड़ दें।

तालिका 2: अनुवाद सेवाएं- अंग्रेज़ी<>स्पैनिश<>फ्रेंच

अनुवाद सेवाएं

दिन: 21-25 जनवरी 2019(5 दिन, एक दिन अवकाश सहित)

भाषा: अंग्रेज़ी<>स्पैनिश <>फ्रेंच

(क)	कोट की गई मुद्रा :	
(ख)	अनुवाद का तरीका (दूरस्थ / साइट पर)	
(ग)	सत्र-पूर्व तथा सत्रोत्तर अनुवाद चार्ज (अनूदित दस्तावेज़ के प्रति शब्द) अंग्रेज़ी<>स्पैनिश	
(घ)	सत्र-पूर्व तथा सत्रोत्तर अनुवाद चार्ज (अनूदित दस्तावेज़ के प्रति शब्द) अंग्रेज़ी<>फ्रेंच	
(ड.)	सत्र के दिनों के दौरान, जहां समय सीमा नौ घंटे से कम (रातोंरात) हो, तो अनुवाद शुल्क अंग्रेज़ी<>स्पैनिश	
(च)	सत्र के दिनों के दौरान, जहां समय सीमा नौ घंटे से कम (रातोंरात) हो, तो अनुवाद शुल्क अंग्रेज़ी<>फ्रेंच	
(छ)	साइट के समन्वयकर्ता,यदि कोई है तो, उनकेलिए शुल्क (दूरस्थ अनुवाद के मामले में अनिवार्य)	
(ज)	कोई अन्य चार्ज, यदि है तो (कुल)	
(झ)	आवास :	स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा
(ञ)	यात्रा चार्ज(कुल):	स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा
(ट)	उपरोक्त किसी भी मद के लिए निबन्धन व शर्तें(कृपया मद की लेबल सहित विवरण दें, यदि आवश्यक है,तो अलग शीट जोड़ दें)	

(ठ)	भुगतान के निबन्धन : सेवाएं सन्तोषजनक रूप से पूरा करने के बाद ही भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। कृपया भुगतान के तरीके व अन्य किन्हीं निबन्धनों का विवरण यहां दें।	
नोट : निविदाओं की तुलना उपरोक्त कोट की गई दरों तथा मद (ट)में बताए निबन्धनों व शर्तों पर विचार करके की जाएगी। मूल्य में सभी लागू कर शामिल होने चाहिए।		

6. स्पष्टीकरण

निविदाकार किसी भी स्पष्टीकरण के लिए स्पाइसेस बोर्ड कोडेक्स कक्ष से + 91 2333610-616 (एक्स्टेंशन 340 और 520) या codex.sb-ker@nic.in से इ-मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं।

7. महत्वपूर्ण अनुदेश/सूचना

1. विदेशी करेंसी में प्रस्तुत की गई बोलियों की तुलना हेतु भारतीय करेंसी में परिवर्तन के लिए, निविदा खोलने के दिन की संबन्धित परिवर्तन दर का इस्तेमाल किया जाएगा।
2. स्पाइसेस बोर्ड, प्रस्तुत की गई किसी भी बोली/प्रस्ताव को स्वीकार करने या निरस्त करने का अधिकार रखता है।
3. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख से पूर्व किसी भी समय, स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी कारणवश, चाहे अपनी ही ओर से या किन्हीं संभावित बोलीदाताओं द्वारा स्पष्टीकरण के अनुरोध की प्रतिक्रिया में, निविदा दस्तावेजों का संशोधन कर सकता है।
4. किसी भी संशोधन की सूचना बोलीदाताओं को वेबसाइट में उसके प्रकाशन के ज़रिए दी जाएगी और यह उनपर बाध्यकर होगा। स्पाइसेस बोर्ड अपने निर्णयानुसार निविदा प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
5. आवेदक को यह अपेक्षित है कि वे अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व निविदा में किसी भी परिवर्तन या संशोधन का पता करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट देखें।
6. सफल बोलीदाता को सीसीएससी 5 (तात्कालिक रूप से जनवरी 2021 में) के संगठन तक कोट की गई दरों में सीसीएससीएच 4 (30-40 दस्तावेजों) में तैयार किए जाने वाले सभी सत्रोपरांत दस्तावेजों का अनुवाद करना चाहिए।
7. दस्तावेजी प्रमाण सहित शर्तों का अनुपालन न करने वाले निविदाकार मूल्य बोली (जहां भी अपेक्षित हो) खोलने की निविदा के लिए योग्य नहीं होंगे।
8. निविदा के लिए विनिर्दिष्ट अन्तिम तारीख के बाद प्राप्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी।
9. भारतीय बोलीदाताओं के लिए, अनुवाद की सेवाओं के सभी भुगतान के लिए लागू जी एस टी को

स्रोत से कटौती (टी डी एस) की जाएगी। कार्य आदेश प्रदान करने पर योग्यता प्राप्त बोलीदाता द्वारा जी एस टी मानकों के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज़ स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

10. सफल बोलीदाता को ज़ारी करने के सात दिनों के भीतर कार्य आदेश को स्वीकार करना होगा।

8. अन्य निबन्धन व शर्तें

1. प्रस्तुत किए जाने के अन्तिम समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. निविदा को, उसके प्रस्तुत करने की तारीख के बाद कम से कम 4 महीनों तक अनिवार्यतः विधिमान्य रहना है। इस अवधि के दौरान, निविदाकार से उम्मीद है कि वे इस कार्य के लिए प्रस्तावित पेशेवर स्टाफ़ को उपलब्ध बनाए रखें। स्पाइसेस बोर्ड इस अवधि के दौरान निविदा पर निर्णय लेने का पूरा प्रयास करेगा। यदि स्पाइसेस बोर्ड प्रस्तावों की विधिमान्यता की अवधि बढ़ाना चाहता है, तो इससे असहमत बोलीदाताओं को अपने प्रस्तावों की विधिमान्यता नहीं बढ़ाने का अधिकार है।
